

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर०ए०एस० )

वाद सं० : 963 सन 2021

अनवान :-

1. भीमराज पुत्र भागीरथ जाति सुथार निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।  
वादी

बनाम

1. भागीरथ पुत्र लादुराम जाति सुथार निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. लीलाधर पुत्र भागीरथ जाति सुथार निवासी फेफाना तहसील नोहर।
3. विनोद कुमार पुत्र भागीरथ जाति सुथार निवासी फेफाना तहसील नोहर।
4. सुलोचना पुत्री भागीरथ जाति सुथार निवासी फेफाना तहसील नोहर।
5. मंजु पुत्री भागीरथ जाति सुथार निवासी फेफाना तहसील नोहर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रामकुमार वैनीवाल अधिवक्ता वादी

पैरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 18.10.2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा चक 5 ए बरानी के खाता संख्या 155 की कुल 2.6820हैक् चक 6 केएनएन के खाता संख्या 98/95 की कुल 1.5730हैक् एवं चक 2 जेएसएन के खाता संख्या 53/50 की कुल 1.0120हैक् चक 3 केएनएन के खाता संख्या 85/82 की कुल 0.2530हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा लादुराम पुत्र नोपाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा लादुराम पुत्र नोपाराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा लादुराम पुत्र नोपाराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें सजरा खानदान अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 4 ता 5 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 4 ता 5 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 4 ता 5 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का बराबर का हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रशासन गांव के संग अभियान में प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाने के उपरान्त प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता लादुराम पुत्र नोपाराम के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 4 ता 5 ने निवेदन किया की उन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पिता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3

उपखण्ड अधिकारी  
नोहर

के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं मजमें आम की सहमति/जानकारी के आधार पर वाद का निस्तारण फरमावे।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल/आपसी सहमति मजमे आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रही।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान - वर्ष -2021 कैम्प कोर्ट में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में उभयपक्षों की सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल/सहमति पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है तथा अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद न्यायायिक दृष्टान्तों एवं आपसी सहमति /मजमे आम की सहमति /जानकारी के आधार पर वाद वादी डिक्री फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षों को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 5 ए बारानी के खाता संख्या 155 की कुल 2.6820हैक चक 6 केएनएन के खाता संख्या 98/95 की कुल 1.5730हैक एवं चक 2 जेएसएन के खाता संख्या 53/50 की कुल 1.0120हैक चक 3 केएनएन के खाता संख्या 85/82 की कुल 0.2530हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।


जमाबन्दी सम्वत 2029 से 2038 मु0प्रबन्ध विभाग के अनुसार वाद भूमि लादुराम पुत्र नोपाराम के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा लादुराम पुत्र नोपाराम के नाम से दर्ज है वादी के दादा लादुराम पुत्र नोपाराम के देहान्त होने के वाद विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति होना साबित है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 ,8 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के हक हिस्सा की भूमि है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 4 ता 5 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 4 ता 5 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते हैं के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 4 ता 5 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐतराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 5 ए बारानी के खाता संख्या 155 की कुल 2.6820हैक चक 6 केएनएन के खाता संख्या 98/95 की कुल 1.5730हैक एवं चक 2 जेएसएन के खाता संख्या 53/50 की कुल 1.0120हैक चक 3 केएनएन के खाता संख्या 85/82 की कुल 0.2530हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है में

मागीरथ प्रतिवादी संख्या 1 के पास रोही मौजा चक 2 जेएसएन के खाता संख्या 53/50 के प0न0 365/368(20) की कुल 1.0120हैक एव रोही मौजा चक 5 ए बारानी के खाता संख्या 155/144 के प0न0 343/380(1) के किला न0 9 एवं रोही मौजा चक 6 केएनएन के खाता संख्या 98/95 के प0न0 342/380(37) के किला न0 17/0.0126हैक उत्तरी पासा की भूमि रहेगी।

  
उपखण्ड अधिकारी  
नोहर

लिलाधर प्रतिवादी संख्या 2 के पास रोही मौजा चक 5 ए बारानी के खाता संख्या 155/144 के प0न0 343/380(1) के किला न0 2/0.2530 ,मय गैर मुमकिन व 10/2 की 0.1520हैक व 11 ,12/0.5060हैक 21 ,22/0.5060हैक भूमि रहेगी।

वादी भीमराज के पास रोही मौजा चक 6 केएनएन के खाता संख्या 98/95 के प0न0 342/380(37) के किला न0 16/0.2530 ,मय गैर मुमकिन व किला न0 17/0.127 ,दक्षिणी पासा की व किला न0 24 ,25/0.5060 ,मय गैर मुमकिन तथा रोही मौजा चक 5 ए बारानी के खाता संख्या 155/144 के प0न0 343/380(1) किला न0 19 ,20/0.5060हैक भूमि रहेगी।

विनोद कुमार प्रतिवादी संख्या 3 के पास रोही मौजा चक 6 केएनएन के खाता संख्या 98/95 के प0न0 342/381(48) के किला न0 4/0.2530 ,5/1 की 0.0260हैक गै0मु0 रास्ता , 5/2 की 0.2270हैक , 7/2 की 0.0550हैक नहरी एवं रोही मौजा चक 5 ए बारानी के खाता संख्या 155/144 के प0न0 343/381(13) किला न0 1 ,2/0.5060हैक एवं रोही मौजा चक 3 केएनएन के खाता संख्या 85/82 के प0न0 343/379(64) किला न0 22/0.2530हैक भूमि रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.10.2021 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपरखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
उपरखण्ड अधिकारी  
नोहर (हनुमानगढ़)  
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष- 2021  
कैम्प कोर्ट -फेफाना

सत्यमेव जयते

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021

पर्चा डिक्री

( आर्डर 20, रूल 6-7 जात्वा दिवानी )

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. भीमराज पुत्र भागीरथ जाति सुथार निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम

1. भागीरथ पुत्र लादुराम जाति सुथार निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. लीलाधर पुत्र भागीरथ जाति सुथार निवासी फेफाना तहसील नोहर।
3. विनोद कुमार पुत्र भागीरथ जाति सुथार निवासी फेफाना तहसील नोहर।
4. सुलोचना पुत्री भागीरथ जाति सुथार निवासी फेफाना तहसील नोहर।
5. मंजु पुत्री भागीरथ जाति सुथार निवासी फेफाना तहसील नोहर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 963 सन 2021 निर्णय दिनांक- 18.10.2021

आज यह वाद प्रशासन गांव क संग अभियान वर्ष - 2021 कैम्प कोर्ट में मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व ) नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 5 ए बारानी के खाता संख्या 155 की कुल 2.6820हैक् चक 6 केएनएन के खाता संख्या 98/95 की कुल 1.5730हैक् एवं चक 2 जेएसएन के खाता संख्या 53/50 की कुल 1.0120हैक् चक 3 केएनएन के खाता संख्या 85/82 की कुल 0.2530हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है में

भागीरथ प्रतिवादी संख्या 1 के पास रोही मौजा चक 2 जेएसएन के खाता संख्या 53/50 के प0न0 365/368(20) की कुल 1.0120हैक् एव रोही मौजा चक 5 ए बारानी के खाता संख्या 155/144 के प0न0 343/380(1) के किला न0 9 एवं रोही मौजा चक 6 केएनएन के खाता संख्या 98/95 के प0न0 342/380(37) के किला न0 17/0.0126हैक् उत्तरी पासा की भूमि रहेगी

लीलाधर प्रतिवादी संख्या 2 के पास रोही मौजा चक 5 ए बारानी के खाता संख्या 155/144 के प0न0 343/380(1) के किला न0 2/0.2530 ,मय गैर मुमकिन व 10/2 की 0.1520हैक् व 11 ,12/0.5060हैक् 21 ,22/0.5060हैक् भूमि रहेगी।

वादी भीमराज के पास रोही मौजा चक 6 केएनएन के खाता संख्या 98/95 के प0न0 342/380(37) के किला न0 16/0.2530 ,मय गैर मुमकिन व किला न0 17/0.127 ,दक्षिणी पासा की व किला न0 24 ,25/0.5060 ,मय गैर मुमकिन तथा रोही मौजा चक 5 ए बारानी के खाता संख्या 155/144 के प0न0 343/380(1) किला न0 19 ,20/0.5060हैक् भूमि रहेगी।

विनोद कुमार प्रतिवादी संख्या 3 के पास रोही मौजा चक 6 केएनएन के खाता संख्या 98/95 के प0न0 342/381(48) के किला न0 4/0.2530 ,5/1 की 0.0260हैक् गै0मु0 रास्ता , 5/2 की 0.2270हैक् , 7/2 की 0.0550हैक् नहरी एवं रोही मौजा चक 5 ए बारानी के खाता संख्या 155/144 के प0न0 343/381(13) किला न0 1 ,2/0.5060हैक् एवं रोही मौजा चक 3 केएनएन के खाता संख्या 85/82 के प0न0 343/379(64) किला न0 22/0.2530हैक् भूमि रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमिलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे

पर्चा डिक्री आज दिनांक 18.10.2021 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
नोहर

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष- 2021  
कैम्प कोर्ट- फेफाना